'मुझे भी सरकार गिराने के लिए खरीदने का प्रयास हुआ'

मंत्री गोविन्द राम मेघवाल ने सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन के सामने दावा किया

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अंतर्द्वंद को समाप्त करने के लिए 29 मई को दिल्ली में चर्चा होने के बाद अभी तक सुलह का फार्मूला तो सामने नहीं आया है, लेकिन इधर 11 जून को राजस्थान में सचिन पायलट की ओर से नई पार्टी के गठन को लेकर चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म हो चुका है। राजनीतिक लोगों से लेकर मीडिया तक में 11 जून को पार्टी गठन होने का दावा किया जा रहा है।

इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि ना तो आलाकमान सचिन पायलट को लेकर कोई फैसला ले रहा है, ना सुलह का फार्मूला सामने आ रहा है। यही कारण है कि दिल्ली से लौटकर सचिन पायलट ने टोंक में अपनी तीन मांगों को लेकर किसी तरह के समझौते से इनकार किया है। वहीं अशोक गहलोत पहले ही इन तीन मांगों को नकार चुके हैं। ऐसे में समझौते की गुंजाइश बची नहीं है। फिर भी कहा जा रहा है कि 7 जून को राहुल गांधी के विदेश से वापस आने तक सचिन पायलट इंतजार करेंगे, इसके बाद अपना फैसला बताएंगे।

■ **क्या पायलट राहुल के लौटने व उनसे बात करने के बाद अपनी भूमिका के बारे में फैसला करेंगे?**

वहीं अब अशोक गहलोत खेमे के मंत्री फिर बाड़ेबंदी, विधायकों की खरीद-फरोख्त और सरकार गिराने की कोशिशों पर बयानबाजी करने लगे हैं। राजस्थान के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन के सामने राजस्थान के मंत्री और भाजपा से कांग्रेस में आए गोविंद राम मेघवाल ने दावा किया है कि अशोक गहलोत की वजह से सरकार बच गई वरना, उन्हें भी खरीदने का प्रयास किया गया था जिसकी रिकॉर्डिंग उनके पास कहीं मौजूद हो सकती है।

राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी खरीदने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा, मुझे भी फोन आया था, लेकिन मैंने कह दिया पैसे में पशु बिकते हैं, इंसान नहीं बिकते। मेघवाल ने ये भी कहा कि हमारा सौभाग्य है कि अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सरकार बच गई।

बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आपदा प्रबंधन मंत्री ने विधायकों की खरीद-फरोख्त कर सरकार बदलने की कोशिश का मुद्दा फिर से उठा दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास भी फोन आया था। मेरे पास इसकी टेप भी पड़ी है, लेकिन मैं इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। उन्होंने कहा, कल पार्टी भी कहेगी क्या बोल गए, मैं बहुत सोच-समझकर बोल रहा हूं। अगर गहलोत नहीं होते तो सच्चाई ये है कि हमारी सरकार नहीं बचती। गोविंद राम ने कहा, बीकानेर से सरकार ने तीन मंत्री बनाए हैं। तीन ही जीते थे। कुछ और मंत्री स्तर के पद दिए हैं। ऐसे में जो सीधे मंत्री बने हैं, उनकी आगामी चुनाव में जिम्मेदारी ज्यादा है। उन्हें ज्यादा मेहनत से लगकर इस बार सरकार रिपीट करवाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आव्हान किया कि एकजुट होकर काम करें। निजामुद्दीन भी मौजूद रहे। उन्होंने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी हर कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा में वो ऐसा कर चुकी है। हर जगह विधायकों की खरीद-फरोख्त करके सरकार बनाती है। गोवा में तो हमारा बहुमत था, फिर भी भाजपा ने सरकार बनाई। भाजपा की ये ही नीति है कि जैसे-तैसे सरकार बना लो। हमारे विधायक और नेता मजबूती से डटे रहेंगे तो भाजपा का ये प्रयास सफल नहीं होगा।

रिकॉर्डिंग पर चुप रहे एआईसीसी सचिव काजी निजामुद्दीन ने रिकॉर्डिंग वाले मामले से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा, उनसे बात हुई है तो ये जांच का विषय है। वे ही बता सकेंगे।

गहलोत और सचिन पायलट विवाद के बीच गोविंद राम पहले भी गहलोत के पक्ष में बयान दे चुके हैं। सितम्बर 2022 में भी वे कह चुके हैं कि अगर अशोक गहलोत को हटाकर किसी को मुख्यमंत्री बनाया तो हम सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे और मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वे यह भी कह चुके हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होते तो हम मंत्री नही बनते।

'सरकार संविदा कर्मियों के साथ अपना रही है दोहरा रवैया'

जयपुर, (का.सं.)। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान के प्रदेश महासचिव रामस्वरूप टांक ने कहा कि राज्य सरकार संविदा कार्मिकों के साथ दोहरा रवैया अपना रही है जिससे सभी संविदा कार्मिकों में भारी रोष है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा 2018 में सत्ता में आने से पहले अपने जन घोषणा पत्र में राजस्थान के सभी संविदा कार्मिकों को नियमित करने की बात कही थी। परंतु राजस्थान सरकार ने 2021 के बजट में संविदा कार्मिकों के लिए अलग से कैडर बनाने की घोषणा की। वर्ष 2022 में राजस्थान "राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022" नियम बनाने की घोषणा की। उसके बाद राजस्थान के सभी संविदा कार्मिकों के लिए कार्मिक विभाग ने 11 जनवरी 2022 को नियम जारी किये। इन नियमों में पहले से कार्यरत संविदा कार्मिकों को इन नियमों में शामिल करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये। परंतु पुर्व की सेवा अवधि अनुभव की गणना शून्य कर दी गई है। संविदा कार्मिकों के भारी विरोध व प्रदर्शन के कारण 2023 के बजट में संविदा कार्मिकों की "राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022" के अंतर्गत पूर्व की सेवा अवधि अनुभव की गणना अन्य सेवा से आईएएस चयन पर की जाने वाली अनुभव अवधि गणना वाले पैटर्न पर किये जाने की घोषणा की। इससे केवल 8-10 फीसदी संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की राह परस्त हो रही। परंतु आज तक इस अनुभव पैटर्न का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

ब्राह्मण महासंगम जयपुर में तीन सितम्बर को

सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा ने शनिवार को दौसा में बाह्मण महासंगम के पोस्टर का विमोचन किया।

जयपुर। सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा आगामी 3 सितम्बर को जयपुर में ब्राह्मणों का महासंगम होगा। जिसकी शुरुआत आज दौसा जिले से हो चुकी है। जिसमें प्रदेश के हर बूथ से कम से कम 10 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जायेगा। इसके लिये प्रदेश के कुल 51 हजार बूथों पर समाज के बंधुओं से सम्पर्क किया जायेगा और 200 विधानसभाओं के प्रभारी बनाये जा रहे है। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा ने बताया कि आज दौसा जिले में लालसोट रोड स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं मीटिंग आयोजित की गई जिसमें 3 सितम्बर को होने वाले महासंगम के प्रति समाज का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसलिए इस बार पहली बार प्रदेश की 200 की 200 विधानसभाओं से समाज बंधुओं को जयपुर बुलाया जाएगा और समाज हित में जो भी निर्णय इस महासंगम में लिये जायेगें उन्हें समाज के हर तबके तक पहुंचाया जायेगा।

मिश्रा ने बताया कि इस महासंगम में ब्राह्मण अस्मिता को मजबूत करने, समाज को एकजुट करने साथ ही राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से समाज की ताकत को बढाना, एकमात्र उद्देश्य होगा।

मुख्य एजेंडे के रूप में 14 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग, भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना, भगवान परशुराम जी की 111 फीट प्रतिमा की स्थापना, प्रत्येक जिले में गुरुकुल की स्थापना, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हो रही विसंगतियों को दूर करना, ब्राह्मण आरक्षण आंदोलन के समय लगाये गये मुकदमों को वापिस लेना, ब्राह्मण बालिकाओं के लिये छात्रावास की स्थापना सहित अन्य प्रस्ताव इस महासंगम में लिये जायेगें। महासभा ने समाज को एकजुट करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम हाथ में ले रखे है। जिसमें सामूहिक विवाह, सामूहिक उपनयन संस्कार, ज्योतिष कर्मकाण्ड शिविर, छात्रवृत्ति देने सहित अनेका अनेक कार्यक्रम महासभा द्वारा किये जा रहे है। जिन्हे प्रत्येक गांव, तहसील तक पहुंचाया जाये। इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही पुरे प्रदेश में ब्राह्मणों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राजनीतिक आरक्षण भी हो, ये सब विषय भी इस महासंगम में रखे जायेंगे।

मिश्रा ने बताया कि महासभा ने एक लम्बी लड़ाई ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिये लड़ी थी। उस समय भी महासभा ने लाखों-लाख ब्राह्मणों की आरक्षण रैलियां आयोजित की थी और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने उस समय महासभा के मंच पर आकर समर्थन दिया था। महासभा ने लक्ष्य तय किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में समाज का प्रतिनिधित्व बढ़े और समाज एकजूट होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें।

बस्सी एवं नगर में होंगे सीवर लाइन एवं ड्रेनेज कार्य

जयपुर। जयपुर के बस्सी एवं भरतपुर के नगर में सीवर लाइन एवं ड्रेनेज सिस्टम कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, भरतपुर के नगर में 40 करोड़ रुपए की लागत से 6.0 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवर लाइन तथा जयपुर के बस्सी में 20 करोड़ रुपए की लागत से 2.0 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवर लाइन का निर्माण करने सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इससे बस्सी एवं नगर में अपशिष्ट प्रबंधन एवं जल निकासी संबंधी सुविधाएं विकसित होंगी तथा आमजन को सुगमता होगी।

मुख्यमंत्री भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जांच के लिए ए.सी.बी. को आदेश क्यों नहीं दे रहे : सी.पी. जोशी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने यह भी कहा कि मुख्यमन्त्री भ्रष्टाचार पर अपनी ज़ीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां खुद उड़ा रहे हैं

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार मामले पर बयान जारी कर कहा कि भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों में कानून और प्रशासन का डर समाप्त हो चुका है, क्योंकि एसीबी में दर्ज 500 से ज्यादा मामले ऐसे हैं, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अभियोजन स्वीकृति अधर झूल में है। सिर्फ 13 मामलों में मंजूरी मिली है और 29 में स्पष्ट मना कर दिया गया। इससे यह माहौल बन गया है कि यदि एसीबी पकड़ भी लेती है, तो लचर कानून व्यवस्था के चलते वे इससे बरी हो जाएंगे।

■ **'मुख्यमंत्री गहलोत ने ए.सी.बी. को बिना दांत और पंजों वाला शेर बना दिया, जो सिर्फ गुर्रा सकता है'**

प्रदेशअध्यक्ष जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत भले ही पिछले साढे 4 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों के खिलाफ सर्वाधिक कार्रवाई को लेकर अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन वास्तविकता में आंकड़े इसके बिल्कुल विपरीत हैं। गहलोत स्वयं भ्रष्टाचार पर अपनी जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने एसीबी को बिना दांत और पंजों वाला शेर बना दिया है जो सिर्फ गुर्रा सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद एसीबी ने पिछले साढ़े 4 वर्षों में सैकड़ों मामले दर्ज किए, लेकिन 500 से ज्यादा मामले ऐसे हैं, जिनमें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ उनके विभागों से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल रही। क्या प्रदेश के अफसरों पर मुख्यमंत्री की इतनी पकड़ भी नहीं है कि वह इन मामलों पर तुरंत स्वीकृति दे या फिर स्वयं मुख्यमंत्री ही नहीं चाहते कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो।

प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने यह भी कहा कि एसीबी को पूर्णकालिक डीजी कब तक मिलेगा।

प्रदेश में केवल दो ही नए करोना संक्रमित मिले

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शनिवार को केवल दो ही नए करोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस बीच किसी भी मरीज के ठीक नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 12 हो गए हैं।

प्रदेश में शनिवार को बीकानेर और जोधपुर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इससे पहले राज्य में शुक्रवार को छह रोगी पाए गए थे। इधर आज प्रदेश में 1927 कोविड जांच की गई है।

राज्य में पिछले चौबीस घंटों में किसी मरीज के रिकवर नहीं होने से एक्टिव केस बढ़कर 12 हो गए हैं। इनमें जयपुर में 4, उदयपुर व बीकानेर में 3-3 और जोधपुर में 2 एक्टिव केस मौजूद है। प्रदेश में शनिवार को भी करोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि अब तक राज्य में इस बीमारी से 9734 लोगों की मौत हो चुकी है।

दी ब्रह्मपुरी रिफ्यूजी को ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड
87 सिन्धु भवन, कंवर नगर, राजमल का तालाब, जयपुर।
सूचना
दी ब्रह्मपुरी रिफ्यूजी को ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड 87 कंवर नगर, जयपुर के द्वारा प्लाट नम्बर 37 के लिए शोभराज मल को जारी मूल आवंटन पत्र खो गया है। शोभराज मल द्वारा डुप्लीकेट आवंटन पत्र के लिए आवेदन किया गया है। समस्त को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के पन्द्रह दिनों में सोसायटी को सूचित करें अन्यथा डुप्लीकेट आवंटन पत्र जारी कर दिया जावेगा।
साधुराम तोतलानी (अध्यक्ष) 9829067379, रूपचन्द दौलतानी (सचिव) 9928130565

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम नीता सैनी से बदलकर गीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर सैनी आयु 42 वर्ष जाति माली निवासी प्लाट नं. 5 बी 1 गोवर्धन कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे गीता देवी के नाम से जाना जावें।

यह कि मैंने मेरा नाम विवाह पश्चात Anita Sewani (अनिता सेवानी) से बदलकर Arti Kheskwani (आरती खेसकवानी) व धनवंतरी खेसकवानी रख लिया है। मेरे समस्त दस्तावेजों में आरती खेसकवानी व मेरे पति के पुरानी पासपोर्ट में धनवंतरी खेसकवानी अंकित है। उक्त तीनों नाम मुझसे ही संबंधित है। वर्तमान में मुझे आरती खेसकवानी धर्मपत्नी भगवानदास जाति सिंधी, निवासी काला मार्ग, सांभरलेक, जिला जयपुर के नाम से जाना पहचान जाए।

I have changed my name from Diwan Singh to Diwan Dhanik for all purpose R/o S-3, Plot No-5, Abhiraj Residency, Adinath Marg, Krishna Sarovar, Mansarovar, Jaipur.

I Shila Devi Bisht Mother of Ravindra Bisht Resident of Vill-Samadhiwan, P.O- Anna, PS-Garur, Teh Garur, Pin 263641, Distt Bageshwar, State Uttarakhand, have change my name from Sheela Devi Bisht to Shila Devi Bisht vide Affidavit S/no.243 Date 02/06/2023 before Veer Singh, Mansion Court Parisar, Banipark, Jaipur, Rajasthan

I have changed my name from Fanishwer Chandra Mandrecha to Fathe Raj son of Shri Hukum Chand. In future I shall be known by this name. My Address Is Plot No. 455, Near Shiv Mandir, Mandi Khatikan, Ramganj, Jaipur, Rajasthan- 302002

I Gyano Devi W/o Army No 2979121H rank Ex SEP Late sahi Ram Gurjar R/o Village Samaspur Post Khonchpuri Teh. Mahwa Dist. Dausa have changed my name from GYANO DEVI is wrong entered in service record to GYAN KOUR (DOB 1/7/1965) vide affidavit dated 29/5/23 before district notary dausa

I Navratan Rathore W/o JC 299540H EX sub Major Bhanwar Singh Rathore R/o B-28 Umrao Vihar Gokulpura Jhotwara Jaipur have changed my name from NAVRATAN RATHORE is wrong entered in service record to NAVARATNA RATHORE vide affidavit dated 10 may 2023 before district notary Jaipur

I Rup Kanwar W/o service no 2847627 Ex Hav Late Sh. Sumer Singh R/o village post gothra teh. Nawalgarh Dist. Jhunjhunu have changed my name from RUP KANWAR is wrong entered in service record to ROOP KANWAR (DOB 1/1/1942) vide affidavit dated 17 may 2023 before district notary Jaipur

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री बाबूलाल सामोत्या** का स्वर्गवास दिनांक 02.06.2023 को हो गया है, जिनकी तीये की बैठक रविवार 04.06.2023 को सायं 3.00 से 5.00 बजे तक निज निवास 92, अगरबत्ती वाले, गुलाब निवास के सामने, पुराना घाट खानियाँ, आगरा रोड, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल- सत्यनारायण, कन्हैयालाल, नाथूलाल, सीताराम, प्रभू (भ्राता), नन्दकिशोर, पवन (पुत्र), अनिल, सुनील, महावीर, विकास, प्रकाश, राजू, रवि, बिट्टू, बंटी, सचिन, सुमित, सोनू (भतीजे), आकाश (पौत्र) एवं समस्त सामोत्या परिवार अगरबत्ती वाले। 9828701910

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती मीना खत्री** पत्नी स्वर्गीय श्री चन्द्रभान खत्री का स्वर्गवास 02.06.23 को हो गया है। तीये की बैठक 04.06.23 को सायं 5:30 बजे हंस विहार मंदिर (S.F.S.) मानसरोवर में होगी।
शोकाकुलः धर्मेन्द्र- अन्जू, विनय- अन्जली (पुत्र-पुत्रवधु), रंजना- स्व. राजेश (पुत्री-दामाद), कौशल्या, मोहनलाल- गोपी, ओमप्रकाश- कला, पूनम, राजकुमार-सपना (देवर-भाभी), बसंती- हरिकिशन, शान्ता- स्व. हरगुन लखवानी (ननद-नंदोई), सुनील- कंचन, जोनी- गीता, धर्मेन्द्र- अंजली, अमित-वंशिका, योगेश (भतीजे- भतीजेवधू), राहुल, हिमांक (नवासे) समस्त आसवानी परिवार, फर्मः रुपम टेक्सटाइल
8696969654, 8949271008

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राज्य सरकार व चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने लैब टेक्नीशियन भर्ती के विज्ञापन एवं रेगुलेशन में डोमिसाइल की शर्त के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

■ **लैब टेक्नीशियन भर्ती मामला**

लैब टेक्नीशियन भर्ती के 23 मई को जारी किए गए विज्ञापन में शर्त रखी गई कि आवेदन कर्ता राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए। इसकी वजह से कई अभ्यर्थी, जो राजस्थान से बाहर के रहने वाले थे, परंतु जिन्होंने लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा राजस्थान से किया था, वह भर्ती में भाग लेने से वंचित रह गए थे। उनमें से एक अभ्यर्थी सुमित ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विज्ञापन एवं रेगुलेशन में डोमिसाइल की शर्त को चुनौती दी।

जिस पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सरकार एवं चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए उक्त भर्ती में याचिकाकर्ता को भाग लेने की इजाजत दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने पैरवी की।

निर्माण कार्यों की होगी 'डिजिटल मॉनिटरिंग'

जयपुर। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए उनकी 'डिजिटल मॉनिटरिंग' का 'मैकेनिज्म' तैयार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने इसके लिए अधिकारियों को 'सॉफ्टवेयर' तैयार करने के निर्देश दिए है। जैन ने शनिवार को शिक्षा संकुल में बैठक की अध्यक्षता करते हुए समठा शिक्षा अभियान के तहत राज्य के स्कूलों में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कार्यों की प्रक्रिया को निर्धारित 'एक्शन प्लान' के अनुसार आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

नेट-थियेट पर अहसास-ए-ग़ज़ल

नेट-थियेट कार्यक्रम की श्रृंखला में आज अहसास-ए-ग़ज़ल कार्यक्रम में उभरते गजल सिंगर राजन सिंह शिखर ने अपनी मखमली आवाज में सुप्रसिद्ध गजलों का गुलदस्ता पेश कर मौसिकी रूबरू कराया।

जयपुर। नेटथियेट कार्यक्रम की श्रृंखला में आज अहसास-ए-ग़ज़ल कार्यक्रम में उभरते गजल सिंगर राजन सिंह शिखर ने अपनी मखमली आवाज में सुप्रसिद्ध गजलों का गुलदस्ता पेश कर मौसिकी रूबरू कराया।

नेटथियेट के राजेन्द्र शर्मा राजू बताया कि कलाकार राजन सिंह शिखर ने अपने कार्यक्रम की शुरूआत "ये जूनून नही तो क्या है मैं अपना करार ढूढता हूं, मेरी वहशतें सलामत तेरा प्यार ढूंढता हूं" से की। इसके बाद उन्होंने "तेरी जुल्फ के ये साये हैं, नफस नफस पे छायें हैं" और "मेरा गुलशन ए मुहब्बत तो उजड चुका है" जब अपनी पुरकशिश आवाज में इन गजल को सुनाया तो दर्शक वाह-वाह कर उठे और अंत में "या खुदा कैसे जमाने आ गए, फैसला कातिल सुनान आ गए" और "घर हुआ गुलशन हुआ सेहरा हुआ, हर जगह मेरा जुनू रूसवा हुआ" पेश कर अपनी गायिकी का परिचय दिया। इनके साथ देश के जानेमाने तबला वादक प. महेन्द्र शंकर डांगी ने अपनी उंगलियों का जादू दिखाकर गजल की इस महफिल को परवान चढ़ाया। कार्यक्रम संयोजन नवल डांगी तथा कार्यक्रम में इम्पीरियल प्राइम कैपिटल के कला रसिक मनीष अग्रवाल की ओर से कलाकारों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कैमरे मनोज स्वामी, संगीत संयोजन सागर गढवाल, मंच सज्जा मनीष योगी व अंकित शर्मा नानू की रही।

आम सूचना मैं सुशीला देवी पत्नी स्व. प्रभूदयाल जायसवाल, जाति जायसवाल निवासी मकान नम्बर ई-21, श्याम वाटिका, बालाजी विहार-16, वाटिका रोड, जयपुर घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र नवरतन जायसवाल मेरे कहने में नहीं है। उसने मेरे व मेरे परिवार से रिश्ता तोड दिया है वह अपनी पत्नी पूजा जायसवाल के साथ अलग रह रहा है। वह और उसकी पत्नी हमारे परिवार से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। मेरी सम्पत्ति में उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसके व उसकी पत्नी द्वारा किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई भी संव्यवहार किया जाता है तो इसकी जवाबदारी इनकी होगी, मेरा परिवार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मेरा व मेरे परिवार का मेरे बड़े पुत्र नवरतन जायसवाल के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहा है और सभी रिश्ते खत्म हो गये है। श्रीमति सुशीला देवी

खोया पाया
मेरे प्रताप नगर जयपुर के प्लाट नं. 164/22 के पजेशन लैटर व नोड्यूज लैटर प्रताप नगर में कहीं खो गये मिलने पर सूचित करें। हेमा ज्ञानानी मो.7976106094

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अचल सम्पत्ति मकान नम्बर 50/62, सैक्टर-5 प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड, सांगानेर, जयपुर राज. कुल क्षेत्रफल 60.00 वर्गमीटर है। उक्त सम्पत्ति किशन चन्द को राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा जरिये आवंटन पत्र दिनांक 28.04.1992 द्वारा प्राप्त हुई, सुभाष चन्द ने उक्त सम्पत्ति को क्रय करके उक्त कार्यालय से अपने नाम से नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाणपत्र सं. 1904दिनांक 20.07.2007 एवं रजिस्टर्ड परिपिच्युअल लीज एवं कन्वीयेन्स डीड दिनांक 16.03.2013 प्राप्त की। सुभाष चन्द ने उक्त सम्पत्ति को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.09.2019द्वारा कमल कान्त वर्मा को विक्रय कर दिया एवं कमल कान्त वर्मा ने उक्त सम्पत्ति को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.06.2022 द्वारा राकेश कुमार बैरवा को विक्रय कर दिया। इस प्रकार राकेश कुमार बैरवा उक्त सम्पत्ति के एकमात्र रूप से विधिक रूप से मालिक स्वामी अधिकारी काबिज हुए। उक्त सम्पत्ति के मूल दस्तावेजों में से समस्त असल दस्तावेज कहीं गुम हो गये है, जिसके बाबत एक गुमशुदगी रिपोर्ट साईबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर में एल.आर. नं. 1659415/2022 दिनांक 13.12.2022 दर्ज करवा रखी है। इस बाबत पूर्व में भी समाचार जगत समाचार पत्र में खोया पाया में प्रकाशित करवाया गया था जिसमें भी कोई आपत्ति नहीं आई थी। अब श्रीमती रामेश्वरी देवी उक्त सम्पत्ति को राकेश कुमार बैरवा से क्रय कर रही है, जिस बाबत मेरी अभिभाष्य वित्तीय संस्था एचडीएफसी लिमिटेड से ऋण ले रही है, सर्वसाधारण को उक्त सम्पत्ति के विधिक वारिसान, मालिकाना हक, स्वामित्व, कब्जे व अधिकार पर कोई आपत्ति हो तो तीन दिवस में लिखित में मय दस्तावेज सूचित करें अन्यथा आपत्ति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी।
दिनांक-3.6.23 ऋषिकेश महर्षि, एडवोकेट, (एस.आर.एम. पार्टनर) पता-82, एवरेस्ट विहार, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर, राज.

उत्तर पश्चिम रेलवे G20
ई-निविदा सूचना
भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से उप मुख्य बिजली इन्जीनियर (निर्माण) उत्तर पश्चिम रेलवे, रेल निर्माण भवन, गंगा मार्ग, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान निम्नलिखित कार्यों के लिये दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई- निविदा आमंत्रित की जाती है: Tender No. EL/C/JP/MVJ-NDT/TRD/T/01/23-24. 1. कार्य का नाम : अजमेर डिवीजन, एनडब्ल्यूआर के मावली (एमवीजे)- नाथद्वारा (एनडीटी) खंड में 2x25 केवी ओएचई प्रणाली के रेलवे विधुतीकरण कार्य का डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग 2. कार्य की अनुमानित लागतः ₹81414030.00 3. बयाना राशि जो जमा करनी है : ₹557100.00 4. कार्य की समय अवधिः 6 Months 5. निविदा प्रपत्र जमा कराने व खुलने की तारीख व समयः 04-07-2023 को 15:00 बजे तक जमा व 04-07-2023 को 15:30 बजे खोलना उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये वैबसाइट का पता www.ireps.gov.in 591-DP/23
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

वाद संख्या-276/2022
नाम न्यायाल - उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर
श्रीनारायण विरूद्ध गोपाल वगैराह
वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
नाम (1) गोपाल पुत्र गणेश (2) अनिल कुमार पुत्र कैलाश चन्द (3) अनोप पुत्री हरनाथ (4) उर्मिला पुत्री श्रीकिशन (5) कमलेश देवी पत्नी श्रीकिशन (6) कमली पुत्री भंवरलाल (7) कैलाशी पुत्री म्होरू (8) केसरलाल पुत्र श्रीकिशन (9) गुलाब पुत्री नारू (10) गुलाब देवी पत्नी धोकला (11) जगदीश पुत्र गणेश (12) दुर्गा पुत्र नारू (13) दीपक मीणा पुत्र सोहन लाल (14) धन्नालाल पुत्र म्होरू (15) नानकी पुत्री नारू (16) घिंकी पुत्री कैलाशचन्द्र (17) बन्नालाल पुत्र म्होरू (18) बादाम पत्नी हरनाथ (19) बाबूलाल पुत्र कानाराम (20) भंवरी देवी पत्नी कैलाश (21) मंगल पुत्र कानाराम (22) मनोहरी पुत्री कैलाश चन्द्र (23) ममता पुत्री रामजीवण (24) म्होरी पत्नी म्होरू (25) मोहन पुत्र रामजीवण (26) रमेशचन्द पुत्र म्होरू (27) राधेश्याम पुत्र हरनाथ (28) रामचन्द्र पुत्र कानाराम (29) रामचन्द्र पुत्र नारू (30) रामनिवास पुत्र कानाराम (31) रामवतार पुत्र श्रीकिशन (32) रोहित मीणा पुत्र सोहन लाल [illegible]

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन आदेश 5 के नियम 1 और 5
वाद संख्या-309/2022
नाम न्यायाल - उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर
श्रीनारायण विरूद्ध गोपाल वगैराह
वाद बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
नाम (1) हनुमान सहाय पुत्र गणेश (2) आचुकी पुत्री गणेश (3) कमल पुत्र भंवरलाल (4) कमली पुत्री भंवरलाल (5) कैलाश चन्द्र पुत्र छीतर (6) किरण पुत्री रामप्रकाश (7) गजराज पुत्र राजूलाल (8) गुलाब पत्नी धोकल (9) गुलाब पुत्र जोरिया (9) गोपाल पुत्र गणेश (10) छोटी देवी पत्नी रामसहाय (11) जगदीश पुत्र गणेश (12) जैना पुत्री गणेश (13) जयराम पुत्र लालचन्द (14) जयवीर पुत्र लालचन्द (15) दुर्गा पत्नी भंवरलाल (16) दिलीप पुत्र रामप्रकाश (17) दीपक उर्फ दिली पुत्र प्रहलाद नाबालिग संरक्षिका माता विमला देवी (18) नन्छी देवी पुत्री घासी (19) नरेन्द्र पुत्र देवीलाल (20) नारंगी देवी पुत्री घासी (21) निकिता मीणा पुत्री बजरंग लाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता विमला देवी (22) पूजा मीणा पुत्री बजरंग लाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता विमला देवी (23) फूलचन्द पुत्र धोकल (24) बद्रीनारायण पुत्र सुजाराम (25) बलवीर पुत्र रामप्रकाश (26) बाबूलाल पुत्र जोरिया (27) भगवान पुत्र जोरिया (28) भंवरलाल पुत्र घासी (29) मंगेज पुत्र जोरिया (30) मंगलचन्द पुत्र गणेश (31) मुन्नी देवी पत्नी मदनलाल (32) मुन्नी देवी पुत्री रामप्रकाश (33) मनोज पुत्र रामप्रकाश (34) ममता पुत्री रामजीवन (35) मोहन पुत्र रामजीवन (36) राजकिशोर पुत्र लल्लूराम (37) रामेश्वर पुत्र धोकल (38) रामेश्वरी पत्नी घासी (39) राहुल पुत्र प्रहलाद नाबालिक संरक्षिका माता विमला देवी (40) रितु पुत्री राजूलाल (41) रोशनी पुत्री राजूलाल (42) लल्लू पुत्र जोरिया (43) लाली देवी पत्नी रामप्रकाश (44) विकास मीणा पुत्र बजरंगलाल (45) विनोद पुत्र प्रहलाद (46) विमला देवी पत्नी प्रहलाद [illegible]

वाद संख्या-275/2022
नाम न्यायाल - उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर
श्रीनारायण विरूद्ध हनुमान सहाय वगैराह
[illegible]

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश क्र.सं. 01 जयपुर महानगर
श्रीमती दीक्षा कँवर विरूद्ध करण सिंह
वाद/प्रार्थना पत्र धारा (13)1
प्रार्थना-पत्र संख्या -1607/21
नाम करण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति राजपुत पता 24 पशुपतिनाथ कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर
उक्त ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया हैकि....
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 21 माह 08 सन् 2023 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्हे में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 01 माह 06 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
आज्ञा से-मुन्सरिम पारिवारिक न्यायालय क्रम-1, जयपुर महानगर प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 5793/22
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम 1. श्रीमती लीना पालीवाल पुत्री स्व. श्री तेज प्रकाश शर्मा पत्नीश्रीअजय पालीवाल निवासी मकान नम्बर 1084सेक्टर-17 फरीदाबाद हरियाणा। 2. श्रीमती वाणी शर्मा पुत्री स्व. श्री तेज प्रकाश शर्मा पत्नी श्री रेवती रमन शर्मा निवासी-73,शान्ति निकेतन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर हाल पोस्ट मकान नम्बर 397 पी.सी.118 आल हर्थी कॉम्पलेक्स, कुरूम मस्कट, सल्तनत ऑफ ओमान जरिये मुख्यार श्रीमती लीना पालीवाल
विवाद स्थान......
मृतक श्री तेज प्रकाश शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 04.08.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम तेज प्रकाश शर्मा पुत्र रामनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी-5 क 14 जवाहर नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04 माह 08 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 03 माह 06 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीगण द्वारा मृतक तेज प्रकाश के नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित शेयर्स बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम